

28/7/25

पत्तावली पेस डी अधिवक्ता जाधी धरि
अजाधी स. 1 ता 3 के विरुद्ध एक
पक्षिय कापवाही वॉलन्टार ही स्टेट
जवाब जाए ही शामिल पत्तावली ही
अधिवक्ता जाधी की बहस सुनी
गई अधिवक्ता जाधी ने बहस
मे कथन किया कि ता दावा
कमला र I कंमरी की जावे
एगरे डाय बहस पर मनन किया
गया। पत्तावली का अवलोकन

किया गया। उन्नगत रकबा चरु
3 NR खाता लेखा 67 प. न.
38/327 के किया स. 1 ता 25
की 6.325 ई. अजाधी स. 1 के
इसक व हिसा की भूमि मे
आधीगत एक ही पटीवाट की
सहदायिक सहाय ही जाधी स.
3 व 4 नाबालिग ही बिसके
हिलों की रक्षा करवा आवश्यक
ही उन्नगत रकबा मे हकी



का निर्धारण मूल वाद से तय होगा
 है स्थगन कादेश ला कोचला दावा
 कनवर्ग किए जाने से किसी भी पक्ष
 को नुकसान नहीं है बल्कि उभय
 पक्ष के मध्य कागे विवाद नहीं
 बढ़ाने में सहायक है है इसलिए
 दस्तगत धार्मिक पर 212 RTA
 में दिनांक 31/01/2022 को जारी स्थगन
 कादेश ला कोचला दावा कनवर्ग किया
 जाता है पर्यावली नम्बर से कम
 की जाकर बाद तकमील जावेला
 दारिखत दस्तगत हो। पुनः स्वयं उक्त निर्णय
 खाला-यस्ता पर प्रकाशी नहीं होगा।
 पर्यावली कोचला होकर बाद तकमील
 दारिखत दस्तगत हो।

सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा